**L. A. BILL No. XXI OF 2023.**

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971.

**विधानसभा का विधेयक क्रमांक २१ सन् २०२३।**

**महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।**

सन् १९७१ का महा. २८।

**क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरावें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम ।

**१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए ।

(शा.म.मु.) एचबी ८६७—१ (५०—७-२०२३)

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ३ई में संशोधन।

**२.** महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ की धारा ३ई की उप-धारा (१) में, " दस वर्षों " शब्द जहाँ कहीं वें दोनों स्थानों पर आये हों, के स्थान में, " सात वर्षों " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९७१ का महा. २८।

## उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र मलिन-बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (सन् १९७१ का महा. २८) की धारा ३ई यह उपबंध करती है कि, मलिन-बस्ती क्षेत्र पुनर्वसन योजना के अधीन व्यक्तियों को आंबटित मकानों जो मकानों के आंबटन के दिनांक से प्रारंभिक प्रथम दस वर्षों की अवधि के लिये उसके आंबटती द्वारा अंतरित नहीं किया जायेगा और दस वर्षों की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात्, आंबटती विहित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे मकान का अन्तरण मलिन-बस्ती पुनर्वास प्राधिकारी की अनुमति से कर सकेगा ।

२. सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है कि, ऐसे मकानों के अन्तरण पर निर्बंध की उक्त अवधि बहुत लंबी है। ऐसे मकानों के अवैध अन्तरण की समस्या में भी वृद्धि हुई है। इसलिये, सरकार उक्त अवधि दस वर्षों से सात वर्षों तक कम करना इष्टकर समझती है। उस प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की धारा ३ई में यथोचित संशोधन करने के लिये प्रस्तावित है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित १३ जुलाई, २०२३ ।

**देवेंद्र फडणवीस,**
उप मुख्यमंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),
**श्रीमती विजया ल. डोनीकर,**
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

**विधान भवन :**
मुंबई,
दिनांक १६ जुलाई, २०२३।

**जितेंद्र भोळे,**
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई